



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 01.12.2025

जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा दहेज हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादिनी श्रीमती शिवकान्ती पत्नी श्री अरविन्द निवासिनी ग्राम नधौवा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात की पुत्री के ससुरालीजन द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री की हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 26.01.2025 को थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 0032/2025 धारा 498ए/304बी/323/201/506/34 भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त वीरप्रताप उर्फ मनोज पुत्र दयाराम, उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी ग्राम सूखमपुर, थाना रसूलाबाद, जनपद, कानपुर देहात, को आज दिनांक 01.12.2025 को अभियुक्त के घर के बाहर ग्राम सूखमपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

वीरप्रताप उर्फ मनोज पुत्र दयाराम, उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी ग्राम सूखमपुर, थाना रसूलाबाद, जनपद, कानपुर देहात

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना रसूलाबाद पुलिस